



**INDIAN COUNCIL OF AGRICULTURAL RESEARCH
KRISHI BHAWAN: NEW DELHI**

F. No. GAC-21-5/2016-CDN

Dated the 24th May, 2016

ENDORSEMENT

Ministry of Urban Development, Directorate of Estates, New Delhi has issued an O. M. regarding the online information on house allotments by Directorate of Estates. As approved by the competent authority, this O.M. No. 8/computer cell/2016 dated 21.4.2016 has been uploaded on the ICAR web-site www.icar.org.in and e-office for information.

Ajai
24.5.16

(Ajai Verma)

Under Secretary (CDN and R&D)

DISTRIBUTION:-

1. All Directors/Project Directors of all ICAR Institutes/National Research Centres/Project Coordinators/Coordinated Research Projects/Zonal Project Coordinators/Bureaux for information.
2. Sr.PPS to DG, ICAR/PPS to Secretary, ICAR/PPS to FA (DARE/ICAR).
3. PD, DKMA, KAB-I for placing on the ICAR web-site.
4. All Officers/Sections at ICAR Krishi Bhawan/KAB – I & II/NASC
5. Secy. (Staff Side), CJSC, NRC on Meat, Chengicherla, Hyderabad -500039
6. Secy. (Staff Side), HJSC, ICAR, KAB-II, Pusa, New Delhi-110012
7. Guard file/Spare copies



भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
कृषि भवन, नई दिल्ली

फा० सं० सा. प्र.स/21-5/2016-समन्वय

दिनांक 24.5.2016

पृष्ठांकन

शहरी विकास मंत्रालय, संपदा निदेशालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ज्ञापन संख्या 8/कम्प्युटर सेल/2016 दिनांक 21.4.2016 को स्वचालित आंबटन प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रपत्रों के आन-लाइन प्रस्तुतीकरण हेतु प्रक्रिया के बारे जारी किया है। यह का. ज्ञा. भा.कृ.अनु.प. की वेब साइट www.icar.org.in पर सूचना हेतु अपलोड कर दिया गया है।

अजय वर्मा
24.5.16
(अजय वर्मा)

अवर सचिव (समन्वय एवं आर एंड डी)

वितरण:

1. भा.कृ.अ.प. के संस्थानों/परियोजना निदेशालयों/राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्रों/परियोजना समन्वयकों/अनुसंधान परियोजना समन्वयकों/क्षेत्रीय परियोजना समन्वयकों के सभी निदेशक/ब्यूरो के सभी निदेशक।
2. महानिदेशक., भा.कृ.अ.प. के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव/ वित्त सलाहकार (डेयर) के प्रधान निजी सचिव/ भा.कृ.अ.प. के प्रधान निजी सचिव।
3. पी. डी., डीकेएमए, कृषि अनुसंधान भवन-1 को आईसीएआर की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. भा.कृ.अ.प. के सभी अधिकारी/अनुभाग कृषि भवन/कृषि अनुसंधान भवन-1/2, एनएससी कामपलेक्स।
5. सचिव (कर्मचारी पक्ष) सीजेएससी राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केन्द्र चंगीचेरला हैदराबाद-39
6. सचिव (कर्मचारी पक्ष) ऐचजेएससी भा.कृ.अ.प., कृषि अनुसंधान भवन-2
7. गार्ड फाइल/अतिरिक्त प्रतियां

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

संपदा निदेशालय

सचिव (सि.सि.) एवं स.नि. (सा.क.अनु.व.) का कार्यालय
Secy. (S.I.) & DG (ICAR)'s Office
डा.सि.सि. (सा.क.अनु.व.) का कार्यालय
दिनांक/Date: 08/05/2016

Sl. No. 1 (LR)

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108

दिनांक 21 अप्रैल, 2016

कार्यालय जापन

विषय: स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रपत्रों के ऑन-लाइन प्रस्तुतीकरण हेतु प्रक्रिया।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि इस निदेशालय में स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रपत्रों के ऑन-लाइन प्रस्तुतीकरण से संबंधित पूछताछ हेतु व्यक्तिगत तौर पर अधिकारियों से मिलने आने के साथ-साथ बड़ी संख्या में टेलिफोन कॉल प्राप्त होते हैं।

2. अधिकारियों/कर्मचारियों की सुविधा हेतु इस का.जा. में स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रपत्रों के ऑन-लाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।

3. सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त कार्यालय जापन के विस्तृत प्रचार-प्रसार हेतु अपने संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित सरकारी कर्मियों में इसे परिचालित करें।

सचिव (सि.सि.) एवं स.नि. (सा.क.अनु.व.)
AG (S) & DG (ICAR)
डा.सि.सि. (सा.क.अनु.व.) का कार्यालय
दिनांक/Date: 08/05/2016

[Handwritten signatures and initials]
29/05

जितेन्द्र कुमार

(जितेन्द्र कुमार)

संपदा उपनिदेशक (कम्प्यूटर)

दूरभाष : 23061111

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. जीपीआरए के सभी अन्य पात्र अधिकारियों को उनके डीडीओ के माध्यम से।
3. संपदा निदेशालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

1. संयुक्त सचिव (एल एण्ड ई), शहरी विकास मंत्रालय के वरिष्ठ निजी सचिव।
2. संपदा निदेशक/संपदा निदेशक-II के निजी सचिव।
3. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, निर्माण भवन - को इस कार्यालय जापन को संपदा निदेशालय की वेबसाइट पर डालवाने के अनुरोध सहित।

जितेन्द्र कुमार

(जितेन्द्र कुमार)

संपदा उपनिदेशक (कम्प्यूटर)

118542
GAC/CDN Sec
2016
08/05/2016

स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से विभिन्न प्रपत्रों के ऑन-लाइन प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

1. आवेदन पत्र के ऑन लाइन प्रस्तुतीकरण हेतु लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना

- वेबसाइट जीपीआरए.एनआईसी.इन पर जाएं ।
- दिल्ली क्लिक करें ।
- स्वचालित आबंटन प्रणाली क्लिक करें ।
- (यदि पहले से पंजीकृत न हो तो) लॉग-इन आईडी अनुरोध क्लिक करें ।
- फॉर्म भरें तथा इसे भेज दें ।
- स्क्रीन पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड दिखाएगा और यह आपके पंजीकृत मोबाईल नं./ई-मेल खाता पर भी भेजा/चला जाएगा ।
- पासवर्ड पुनः भेजें पर क्लिक करें(यदि पहले से पंजीकृत हों लेकिन पासवर्ड भूल गए हों)।
- लॉग-इन आईडी एंटर करें ।
- पासवर्ड संदेश/ई-मेल के माध्यम से आपके पंजीकृत मोबाईल नं./ई-मेल खाता पर भेजा जाएगा।

2. लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड के बिना एएन तथा पंजीकरण संख्या खोजना

- वेबसाइट जीपीआरए.एनआईसी.इन पर जाएं ।
- दिल्ली क्लिक करें ।
- सामान्य सूचना क्लिक करें ।
- व्यक्तिगत पूछताछ क्लिक करें ।
- एएन तथा पंजीकरण संख्या की खोज क्लिक करें ।

3. क्वार्टर पहले से आबंटित हो फिर भी लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड की आवश्यकता हो

- पंजीकरण संख्या (जो लॉग-इन आईडी है) को जानने के लिए उपर्युक्त मद संख्या 2 में वर्णित उपायों का अनुगमन करें ।
- वेबसाइट जीपीआरए.एनआईसी.इन पर जाएं ।
- दिल्ली क्लिक करें ।
- स्वचालित आबंटन प्रणाली क्लिक करें ।
- पासवर्ड पुनः भेजे क्लिक करें (यदि पहले से पंजीकृत हों लेकिन पासवर्ड भूल गए हों) ।
- लॉग-इन आईडी एंटर करें ।
- पासवर्ड संदेश/ई-मेल के माध्यम से आपके पंजीकृत मोबाईल नं./ई-मेल खाता पर भेजा जाएगा ।

4. डीई-II फार्म का ऑन-लाइन प्रस्तुतीकरण

- वेबसाइट जीपीआरए.एनआईसी.इन पर जाएं ।
- दिल्ली क्लिक करें ।
- स्वचालित आबंटन प्रणाली क्लिक करें ।

- लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड एंटर करें तथा साइन-इन करें।
- एप्लिकेशन-डीई-11 फार्म क्लिक करें।
- फार्म भरें एवं ऑन-लाइन भेजें।
- संबंधित विभाग के प्रशासनिक अधिकारी/नोडल अधिकारी डीई-11 फार्म में भरे गए विवरण को ऑन-लाइन सत्यापित करेंगे तथा इसके बाद सिस्टम से पावती स्लिप प्राप्त करें। इसके बाद इसे स्वीकार करने के बाद नोडल अधिकारी डीई-11 फार्म को ऑन-लाइन संपदा निदेशालय को भेजेंगे।
- आगामी बिडिंग चक्र से आवेदक की प्रतीक्षा सूची निर्मित हो जाएगी जिससे वह मासिक बिडिंग अवधि के दौरान आवास के आबंटन हेतु अपनी पसंदगी देने में सक्षम हो जाएंगे।

5. एएसए के माध्यम से आवास के आबंटन हेतु वरीयता देना

- वेबसाइट जीपीआरए.एनआईसी.इन पर जाएं।
- दिल्ली क्लिक करें।
- स्वचालित आबंटन प्रणाली क्लिक करें।
- लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड एंटर करें तथा साइन-इन करें।
- आबंटन क्लिक करें।
- आबंटन पसंदगी क्लिक करें।
- टाइप तथा पूल चुनें।
- संबंधित विकल्प क्लिक करें तथा आगे बटन क्लिक करें।
- इलाके, जहां आवास उपलब्ध है, की सूची प्रदर्शित होगी।
- अपने पसंद का इलाका क्लिक करें।
- इसके बाद खास आवास क्लिक करें।
- चुने गए आवासों के 1 से 20 में से आबंटन पसंदगी क्लिक करें।
- पसंदगी भेजें।

6. आबंटन पत्र एवं आबंटित आवास की स्वीकृति तथा तकनीकी और वास्तविक कब्जा प्राप्त करना

- ✓ आवास आबंटित होने पर आवेदक एसएमएस/ई-मेल के माध्यम से संदेश प्राप्त करेंगे।
- ✓ वेबसाइट जीपीआरए.एनआईसी.इन पर जाएं।
- ✓ दिल्ली क्लिक करें।
- ✓ स्वचालित आबंटन प्रणाली क्लिक करें।
- ✓ लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड एंटर करें तथा साइन-इन करें।
- ✓ एप्लिकेशन क्लिक करें तथा इसके बाद स्वीकृति प्रपत्र क्लिक करें।
- ✓ आबंटन आईडी एंटर करें और फिर प्रदर्शित करें बटन क्लिक करें।
- ✓ स्वीकृति प्रपत्र भरें तथा इसे ऑन-लाइन भेज दें।
- ✓ संबंधित विभाग के प्रशासनिक अधिकारी/नोडल अधिकारी स्वीकृति प्रपत्र में भरे गए विवरण को ऑन-लाइन सत्यापित करेंगे तथा इसे स्वीकार करने के बाद इस फार्म को ऑन-लाइन संपदा निदेशालय को भेजेंगे।
- ✓ प्रशासनिक अधिकारी किराया बिल तथा प्राधिकार पत्रों का प्रिंटआउट लेकर इन पर हस्ताक्षर करने के उपरांत इन्हें आबंटनी को सौंप देंगे।

- ✓ क्वार्टर का तकनीकी/वास्तविक कब्जा लेने हेतु आबंटी प्राधिकार पर्ची के साथ संबंधित केलोनवि पृष्ठताछ कार्यालय को रिपोर्ट करेंगे।

7. बदली, पुनर्विचार, विवाह प्रयोजन हेतु आबंटन, चिकित्सा आधार पर तदर्थ आबंटन, गैराज का आबंटन, नियमितीकरण तथा प्रतिधारण हेतु आवेदन

- वेबसाइट जीपीआरए.एनआईसी.इन पर जाएं।
- दिल्ली क्लिक करें।
- स्वचालित आबंटन प्रणाली क्लिक करें।
- लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड एंटर करें तथा साइन-इन करें।
- एप्लिकेशन क्लिक करें।
- संबंधित प्रपत्र क्लिक करें।
- संबंधित प्रपत्र भरें तथा इसे ऑन-लाइन भेज दें।
- बदली, पुनर्विचार, गैराज के आबंटन मामले में संबंधित विभाग के प्रशासनिक अधिकारी/नोडल अधिकारी प्रपत्र में भरे गए विवरण को ऑन-लाइन सत्यापित करेंगे तथा इसे स्वीकार करने के बाद इस फार्म को ऑन-लाइन संपदा निदेशालय को भेजेंगे।
- विवाह प्रयोजन हेतु आबंटन, चिकित्सा आधार पर तदर्थ आबंटन, नियमितीकरण तथा प्रतिधारण के मामले में आवेदक इस निदेशालय की वेबसाइट (www.estates.nic.in-citizen charter) पर इंगित अपेक्षित दस्तावेज के साथ प्रपत्र को वास्तविक रूप में संपदा निदेशालय में प्रस्तुत करेंगे।

8. आबंटी द्वारा किराया निर्धारण देखा जाना

- वेबसाइट जीपीआरए.एनआईसी.इन पर जाएं।
- दिल्ली क्लिक करें।
- स्वचालित आबंटन प्रणाली क्लिक करें।
- लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड एंटर करें तथा साइन-इन करें।
- व्यक्तिगत सूचना तथा किराया कार्ड क्लिक करें।
- किराया निर्धारण क्लिक करें और फिर प्रदर्शित करें बटन क्लिक करें।
- रिपोर्ट प्राप्त करें।
- दर्शाए गए किराया निर्धारण में किसी वसूली को नहीं पाए जाने पर रिकार्ड अपडेशन हेतु मौजूदा डीडीओ से संपर्क करें।

9. (सेवानिवृत्ति से पहले) बकाया निकासी प्राप्त करना

- ✓ वेबसाइट जीपीआरए.एनआईसी.इन पर जाएं।
- ✓ दिल्ली क्लिक करें।
- ✓ स्वचालित आबंटन प्रणाली क्लिक करें।
- ✓ लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड एंटर करें तथा साइन-इन करें।
- ✓ एप्लिकेशन क्लिक करें और फिर बेबाकी प्रमाण-पत्र/निकासी प्रमाण-पत्र क्लिक करें।
- ✓ प्रपत्र भरें तथा इसे ऑन-लाइन भेज दें।

- ✓ संबंधित विभाग के प्रशासनिक अधिकारी/नोडल अधिकारी प्रपत्र में भरे गए विवरण को ऑन-लाइन सत्यापित करेंगे तथा इसे स्वीकार करने के बाद इस फार्म को ऑन-लाइन संपदा निदेशालय को भेजेंगे ।
- ✓ संपदा निदेशालय बेबाकी प्रमाण-पत्र/निकासी प्रमाण-पत्र को ऑन-लाइन जारी करेगा ।
- ✓ व्यक्तिगत सूचना क्लिक करें ।
- ✓ किराया कार्ड क्लिक करें ।
- ✓ बकाया, यदि कोई हो, जानने के लिए किराया निर्धारण क्लिक करें ।

10. (सेवानिवृत्ति एवं मकान खाली करने के बाद) बेबाकी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना

- वेबसाइट जीपीआरए.एनआईसी.इन पर जाएं ।
- दिल्ली क्लिक करें ।
- स्वचालित आबंटन प्रणाली क्लिक करें ।
- लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड एंटर करें तथा साइन-इन करें।
- एप्लिकेशन क्लिक करें और फिर बेबाकी प्रमाण-पत्र/निकासी प्रमाण-पत्र क्लिक करें।
- प्रपत्र भरें तथा इस ऑन-लाइन भेज दें ।
- संबंधित विभाग के प्रशासनिक अधिकारी/नोडल अधिकारी प्रपत्र में भरे गए विवरण को ऑन-लाइन सत्यापित करेंगे तथा इसे स्वीकार करने के बाद इस फार्म को ऑन-लाइन संपदा निदेशालय को भेजेंगे ।
- संपदा निदेशालय बेबाकी प्रमाण-पत्र/निकासी प्रमाण-पत्र को ऑन-लाइन जारी करेगा ।
- व्यक्तिगत सूचना क्लिक करें ।
- किराया कार्ड क्लिक करें ।
- बकाया, यदि कोई हो, जानने के लिए किराया निर्धारण क्लिक करें ।
- बकाया निकासी क्लिक करें ।
- इसके बाद डाऊनलोड प्रमाण-पत्र बटन क्लिक करके बेबाकी प्रमाण-पत्र ऑन-लाइन प्राप्त करें